परियोजना का नामः—

जनपद टिहरी गढ़वाल की विकासखण्ड थौलधार के वन अन्तर्गत सूरीधार ग्रा0स0 पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 हे0 आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना।

ग्राम सभा द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना से प्रभावित होने वाली नाप भूमि एवं सिविल सोयम भूमि पर ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है तथा जल निगम चम्बा द्वारा किया गया समरेखण उचित है जिस पर समस्त क्षेत्रवासियों को कोई आपत्ति नहीं है।

(10)

ग्राम सभा अनापत्ति प्रमाण पत्र

सुरीधार पम्पिंग पे०यो० के निर्माण में से भी भाग उसमें आयेगी उससे हमारी ग्राम सभा को कोई भी आपत्ति नहीं है।
अतः उक्त योजना का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र करने की कृपा करें।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित

समिति गठन कार्यवाही प्रस्ताव :-

Page No.

आज दिनांक 12-8-13 को ग्राम पंचायत सैलूर मे प्रधान श्री पुरुषोत्तम की अध्यक्षता मे एक सामुहिक बैठक आहुत की गयी। बैठक मे सहयोगी संस्था श्रद्धा के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। साथ मे ग्राम के वार्ड सदस्य एवं गाँव के गणमान्य लोग इस बैठक मे प्रतिभाग करने हेतु उपस्थित रहे।

आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य सुरीधार पम्पिंग पेयजल योजना जो कि एन० आर० डी० डब्लू० पी० "N.R.D.W.P" के तहत योजना बनायी जानी है उसकी जानकारी ग्राम समुदाय को देना व समिति गठन आदि भी करना है।

परियोजना की सामान्य जानकारी :-

परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है तथा इसके अतिरिक्त समुदाय को जागरूक करके उनके व्यवहार मे बदलाव लाना भी परियोजना मे अपनत्व की भावना को जगाने के लिए समुदाय की भागीदारी श्रम व अंशदान के रूप मे निश्चित की गयी है, जो निम्न प्रकार से लागू किया जा सकता है :-

Signatures (right margin): ह० ग्राम कलीराम कंचन सिंह ... [illegible] ... मदन सिंह ... ब्रह्मानन्द ... [illegible]

दूरशीलता। पुत्रा
Photo Copy attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
चम्बा (टिहरी)

क्र०		विवरण	नगद	श्रमदान	योग
01.	सा०जाति	प्राइवेट कनै०	120·00	480·00	600·00
02.	—"—	स्टैण्ड पोस्ट	60·00	240·00	300·00
03.	SC/ST	प्राइवेट कनैक्शन	60·00	240·00	300·00
04.	—"—	स्टैण्ड पोस्ट	15·00	135·00	150·00

उपरोक्त विवरण के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता परिवार को नगद व श्रमदान देना आवश्यक है। तथा इसके अतिरिक्त परियोजना लागत के अनुसार एक वर्ष का अग्रिम रख-रखाव शुल्क भी जमा करना है जिसे 50% नियोजन चरण मे तथा शेष 50% क्रियान्वयन चरण मे जमा करना आवश्यक है।

स्वच्छता कार्य क्रम : स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के साथ-साथ परियोजना का उद्देश्य है कि ग्राम समुदाय के रहन-सहन मे भी सुधार हो। इसके लिए स्वच्छता कार्यक्रम को भी ग्राम स्तर पर समय-समय पर नियमित रूप से चलाना है जिसमे प्रत्येक परिवार के शौचालय निर्माण व उसका प्रयोग करना एवं गन्दे पानी की निकासी हेतु नाली निर्माण व कूडे कचरे के लिए कूडादान इत्यादि का निर्माण भी आवश्यक है। स्वच्छता का प्रभावी आंकलन करने हेतु समय-समय पर स्वास्थ्य पर सर्वेक्षण

P. C. Athaly

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
मुनी (टिहरी)

Date..........
Page No..........

E10

व हेसा (HESA) सर्वे का संचालन तथा
व्यक्ति गत स्वच्छता तथा घरेलू स्वच्छता
एवं पर्यावरणीय स्वच्छता की जानकारी
भी समुदाय को समय-समय पर दी जायेगी,

समिति गठन प्रक्रिया :- एन० आर० डी० डब्ल्यू० पी०
योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत
मे एक उपभोक्ता पेयजल एवं
स्वच्छता उपसमिति का गठन किया
जाना है जिसमें 07 से 12 सदस्य होंगे
इन्हीं सदस्यों में से एक कोषाध्यक्ष
चुना जायेगा एवं ग्राम प्रधान समिति
मे पदेन अध्यक्ष रहेंगे। साथ मे आरक्षण
के तहत 30% महिला एवं 20% अनु० जाति
तथा 50% अन्य लोगों को समिति शामिल
किया जा सकता है साथ मे यदि कोई
जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य
उपभोक्ता हो तो उन्हे भी समिति मे
शामिल करना आवश्यक है

वित्तीय प्रक्रिया :- वितीय प्रक्रिया के तहत समिति
के दो अलग-अलग खाते खोले -
जायेंगे। जिसमें पूंजीगत लागत खाता
तथा संचालन एवं रख-रखाव खाता
खोला जाना आवश्यक है पूंजी
लागत खाते में परियोजना से प्राप्त
धनराशि व समुदाय द्वारा अंशदान
अंशदान का संचालन होगा।
संचालन एवं रख-रखाव हेतु
मे एक वर्ष का रख-रखाव

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
चम्बा (टिहरी)

Date..............
Page No..............

अग्रिम जमा करना आवश्यक है।
तथा योजना निर्माण के बाद प्रत्येक परिवार से प्रतिमाह निर्धारित रख-रखाव शुल्क जमा किया जाना होगा। उक्त धनराशि खाते का संचालन अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों के द्वारा किया जायेगा।
इसके पश्चात सभी बिन्दुओं पर चर्चा करने के बाद समुदाय ने आपसी विचार विमर्श के साथ समिति गठन प्रक्रिया प्रारम्भ की।

उपरोक्त पेयजल समिति – सैलूर :-

क्र०सं०	नाम	पिता/पति का नाम	व्यवसाय	उम्र	लिंग	मो०नं०	आ०	पदाधिकारी/सदस्य
1-	पुरुषोत्तम	बच्चू लाल	अध्यापक	55	M		SC	प्रधान
2-	श्रीमती अनिता देवी	परमानन्द	सदस्य	40	F		Gen	
3-	〃 अनिता देवी	कमलेश्वर	〃	55	F		GEN	
4-	〃 आषाड़ी देवी	चेतन दास	〃	56	F		SC	
5	〃 मकानी देवी	पन्ना लाल	[illegible]	40	F		[illegible]	
6	〃 मैना देवी	गम्भीर सिंह	〃	48	F		Gen	
7	〃 लक्ष्मी देवी	भगत सिंह	〃	35	F		〃	
8	परशुराम	स्व० धर्मानन्द	[illegible]	35	M		〃	
9-	दर्शन लाल	गिरीश्वर प्रसाद	सदस्य	62	M		〃	
10-	राय सिंह नेगी	स्व० पूर्ण सिंह	〃	55	M		〃	
11	राम लाल	बनवारी लाल	〃		M		〃	
12	रवीराम	महानन्द	〃		M		〃	

उपरोक्त समिति का चयन सर्व सहमति से किया गया –

P. C. [illegible]

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
चम्बा (टिहरी)

Date.........
Page No.........

816

जिसमें अध्यक्ष पद हेतु श्री पुरुषोत्तम ग्राम प्रधान डा. श्री बच्चू लाल। एवं कोषाध्यक्ष पद हेतु श्री परशुराम डोभाल श्री शर्मानन्द का सर्व सहमति से किया गया। साथ में यह भी बताया गया कि परियोजना को संचालन हेतु अपने समसा स्टेट बैंक में खोले जायेगें।

अन्त में एक बार पुनः समुदाय को समझाते हुए, सहयोगी संस्था के प्रतिनिधियों ने सभी को योजना के सफल संचालन की अपेक्षा करते हुए सभा को धन्यवाद देते हुए बैठक समापन की घोषणा की।

राम सिंह
Sushma
सुनीता
मुकानी देवी
सम्पति डोभाल
अनीता देवी
कौशल्या
कमरी
सुलोचना
शान्ति देवी

Team Leader
Shradha Dehradun

P. C. Uniyal

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम

आम सहमति बैठक Agree to do Meeting

Date.........
Page No.........

आज दिनांक 10.9.2013 को ग्रामपंचायत सैलर में पूर्व प्रधान श्री पुरुषोत्तमजी की अध्यक्षता में उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति की एक बैठक बुलायी गयी। बैठक में सहयोगी संस्था श्रद्धा के टीम लीडर, सामुदायिक संगठनकर्त्ता, अवर अभियन्ता, सामुदायिक कार्यकर्त्ता तथा ग्रामवासी भी उपस्थित थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य सुरीधार पम्पिंग पेयजल योजना के बारे में समुदाय की आम सहमति होना था।

पम्पिंग पेयजल योजना की जानकारी → समुदाय को सुरीधार पम्पिंग पेयजल योजना के बारे में बताया गया कि सरकार द्वारा स्वीकृत माँग आधारित योजना हेतु झील से पानी पम्प करके सुरीधार में मुख्य जलाशय में स्टोर किया जायेगा उसके बाद ग्रामपंचायत स्तर में माँग के अनुसार जलाशय बनाये जायेंगे यहीं से पूरी वितरण प्रणाली का कार्य उपभोक्ता समिति के द्वारा किया जायेगा तथा मुख्य लाईन (Pumping Main) के समस्त कार्य जल निगम द्वारा निविदा के माध्यम से कराये जायेंगे।

स्वच्छता कार्यक्रम → स्वच्छ पेयजल के साथ-साथ समुदाय में स्वच्छता की आदतों में सुधार लाने हेतु प्रत्येक परिवार में शौचालय निर्माण, कूड़े-करकट के निस्तारण हेतु कूड़ेदानों का निर्माण तथा दूषित व बेकार पानी की निकासी के लिए नाली निर्माण या सोख्ता गड्ढों का बनना आवश्यक है लोगों में जागरूकता हेतु व्यक्तिगत स्वच्छता (Personal Hygine) घरेलू स्वच्छता (Domestic Hygine) एवं पर्यावरणीय स्वच्छता (Enviroment-al

गंगा सिंह
भकाबी देवी
सुनीता
सम्पति देवी
अनीता देवी
कौशल्या
केसरी
सुलोचना
शान्ति देवी
गुड्डी
P.C. Atter

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
चम्बा (टिहरी)

Date ....
Page No. ....

Hygiene) की जानकारी देना आवश्यक है जिससे गाँव की स्वच्छता व स्वास्थ्य के स्तर में बेहतर सुधार हो सकें।

सामुदायिक सहभागिता → समुदाय को यह भी बताया गया कि परियोजना में प्रत्येक परिवार से नगद अंशदान व श्रमदान के रूप में भागीदारी करना आवश्यक है इसके अतिरिक्त एक वर्ष का अग्रिम रखरखाव भी योजना निर्माण काल में ही जमा किया जाना है।

संचालन एवं रखरखाव → योजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात उसका संचालन एवं रखरखाव ग्रामवासियों के द्वारा किया जाना है इसलिये माँग के अनुसार निर्धारित शुल्क प्रत्येक परिवार को प्रति माह जमा करना आवश्यक है। योजना की देखरेख व रखरखाव के लिए गाँव से एक व्यक्ति नियुक्त करना होगा जिसे तकनीकी ज्ञान प्राप्त हो उसे समिति से मानदेय भी दिया जायेगा तथा वितरण प्रणाली की सभी देखरेख वह समय-समय करता रहेगा।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर समुदाय ने अपनी सहमति व्यक्त की उसके बाद सभी लोगों को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त की गयी।

सुनिता
मकानसिंह
सम्मेरसिंह
उन्नादेवी
कौसल्या
केसरी
सुशीला
गुनदार
पुरान
केदार
पदमसिंह

Tem Ledar
Shradha Dehradun

पुरुषोत्तम
अध्यक्ष

कुन्तीदेवी
पदेन सचिव
यू० डब्ल्यू० एस० एस० सी० ....
ग्राम पंचायत- .... (टि० ग०)

JE

R.C. Nautiyal
सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल नि०
चम्बा (टिहरी)

समिति गठन कार्यवाही प्रस्ताव :-

आज दिनांक 10/09/13 को ग्राम पंचायत हडगी में एक सामूहिक बैठक बुलायी गयी। आज की बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान श्रीमती रोशनी देवी ने बैठक में सहयोगी संस्था श्रद्धा के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। ग्राम में पंचायत के वार्ड सदस्य एवं अन्य ग्रामीण लोग भी उपस्थित थे।

सर्व प्रथम सहयोगी संस्था के प्रतिनिधियों ने समस्त उपस्थित लोगों का बैठक में स्वागत किया। इसके उपरान्त उपस्थित परिचय लेते हुए आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य एन० आर० डी० डब्ल्यू० पी० **"N.R.D.W.P."** के अन्तर्गत सुधार पेयजल योजना की जानकारी देना व उक्त पेयजल योजना हेतु उपसमिति का गठन करना है।

परियोजना की सामान्य जानकारी :-

परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है तथा इसके अतिरिक्त समुदाय को जागरूक करके उनके व्यवहार में बदलाव लाना है। परियोजना में अपनत्व की भावना जगाने के लिए समुदाय की भागीदारी श्रम व अंशदान के रूप में निश्चित की गयी है। जो निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	विवरण	लागत	अंशदान	योग
1	एस० आर० प्रोजेक्ट कनेक्शन स्टैण्ड पोस्ट	120 [illegible]	[illegible]	[illegible]
2	—	[illegible]	[illegible]	300/-
3	[illegible] प्रोजेक्ट कनेक्शन [illegible]	[illegible]	[illegible]	300/-
		135	135	

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
चम्बा (टिहरी)

उपरोक्त विवरण के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता परिवार को नगद व श्रमदान देना आवश्यक है तथा इसके अतिरिक्त परियोजना लागत के अनुसार एक वर्ष का अग्रिम रख-रखाव शुल्क भी जमा करना है। जिसे 50% नियोजन चरण में तथा शेष 50% क्रियान्वयन चरण में जमा करना आवश्यक है।

स्वच्छता कार्यक्रम – स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के साथ-साथ परियोजना का उद्देश्य है कि ग्राम समुदाय के रहन सहन में भी सुधार हो इसके लिए स्वच्छता कार्यक्रम को भी ग्राम समुदाय के रहन सहन में भी सुधार हो इसके लिए स्वच्छता कार्यक्रम को भी ग्राम स्तर पर समय-समय पर स्वच्छ घर सर्वेक्षण व हेसा (HESA) सत्रों का संचालन तथा व्यक्तिगत स्वच्छता, घरेलू स्वच्छता, पर्यावरणीय की जानकारी भी समुदाय को समय-समय पर दी जायेगी।

समिति गठन प्रक्रिया – एन० आर० डी० डब्लू० पी० योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति का गठन किया जाना है। जिसमें 7 से 11 सदस्य होंगे। इन्ही सदस्यों में प्रधान पदेन अध्यक्ष व एक कोषाध्यक्ष का चयन करना है। समिति में निर्वाचित वार्ड सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य तथा

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
चम्बा (टिहरी)

विधायक यदि वे उपभोक्ता है तो उपसमिति के सदस्यों में सम्मिलित करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आरक्षण व्यवस्था के तहत 30% महिला, 20% SC/ST के लोगों का प्रतिनिधित्व भी आवश्यक है।

वित्तीय प्रक्रिया — वित्तीय प्रक्रिया के तहत समिति के दो खातों को खोलने होंगे, जिसमें पूंजीगत लागत खाता व संचालन एवं रखरखाव खाता पृथक–पृथक खोले जाने हैं। पूंजीगत खाते में परियोजना से प्राप्त धनराशि तथा समुदाय द्वारा दिया गया अंशदान जमा होगा तथा परियोजना में किये जाने वाले समस्त व्यय इसी खाते से होंगे।

संचालन एवं रखरखाव खाते में एक वर्ष का अग्रिम रखरखाव जमा किया जायेगा। तथा योजना निर्माण के बाद प्रत्येक परिवार से प्रति माह निर्धारित रखरखाव शुल्क जमा किया जायेगा। उक्त दोनों खातों का संचालन सामुहिक रूप से अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। इसके पश्चात् सभी बिन्दुओं पर चर्चा करने के बाद समिति गठन प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए समुदाय ने आपसी विचार-विमर्श व आम सहमति से निम्न सदस्यों उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति में सम्मिलित किया —

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
चम्बा (टिहरी)

क्र० सं०	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	आयु	शैक्षिक योग्यता	जाति	लिंग	प० [illegible]
1→	श्रीमती रोशनी देवी	रविन्द्र सिंह	अध्यक्ष	30	B.A	GEN	F	हस्ता[illegible]
2→	राजेन्द्र सिंह	सत्ये सिंह	कोषाध्यक्ष	46	साक्षर	-"-	M	
3÷	दर्शन लाल	सुन्दर लाल	सदस्य	49	"	-"-	M	
4÷	श्रीमती शीला देवी	बुद्धि सिंह रावत	-"-	42	"	-"-	F	
5÷	श्रीमती [illegible]	शेर सिंह	-"-	60	"	-"-	F	
6÷	श्रीमती रीना	रोशन लाल	-"-	36	"	SC	F	
7÷	सोबन सिंह	शेर सिंह	-"-	28	"	GEN	M	
8÷	राम लाल	जुरा लाल	-"-	47	"	SC	M	
9÷	प्रेम लाल	बैशाखू	-"-	52	"	-"-	M	
10÷	राजेन्द्र रावत	प्रेम सिंह	-"-	38	"	GEN	M	
11÷	[illegible] सिंह	भजराम	-"-	57	"	-"-	M	
12÷	राम सिंह	भरत सिंह	-"-	54	"	-"-	M	

उपस्थिति — उपरोक्त पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति में अध्यक्ष पद हेतु श्रीमती रोशनी देवी व कोषाध्यक्ष पद पर श्री राजेन्द्र सिंह जी के नाम पर सहमति बनी। समिति में चयनित सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों को ग्राम सहमति से चुने गये। तथा उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति – हड़गी अपने-अपने खाते को नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक ग्रीमी बैंक रामगढ़ में खोले जाने का निर्णय लिया। — हस्ता

सभी बिन्दुओं को एक बार पुनः समझाते हुए योजना के सफल संचालन

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
चम्बा (टिहरी)

एवं क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित सहयोग के लिए सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए सहयोगी संस्था श्रद्धा के कार्यकर्ताओं ने आभार व्यक्त किया तथा अध्यक्ष जी की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी

Team Leader
Society for [illegible] Awareness [illegible]
[illegible] in Himalayan Area
[illegible]

P.C. [illegible]

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
चम्बा (टिहरी)

सुनीता देवी
गीता नेगी
शकुन्तला
बचन सिंह

ग्राम सहमति बैठक : Agree to do Meeting -

आज दिनांक 12.09.13 को ग्राम पंचायत हड़खी के लोकाध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह जी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य ~~[illegible]~~ पम्पिंग सूरी धार पम्पिंग योजना के निर्माण हेतु ग्राम सहमति करने के बारे में उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति एवं समुदाय से ग्राम सहमति पर चर्चा होना है। बैठक में सहयोगी संस्था के टीम लीडर व सा० संगठन कर्ता अवर अभियन्ता तथा वि० डब्लू० तथा ग्रामीणों की उपस्थित थी।

पम्पिंग पेयजल की जानकारी :- समुदाय

को बताया गया कि सरकार द्वारा ऊर्जा आधारित ~~[illegible]~~ सूरीधार पम्पिंग योजना द्वारा मुख्य ~~[illegible]~~ जलाशय सूरी धार में बनाया जाना है उसके बाद कई अन्य स्थानों पर टैंक या जलाशय बनाये जाते है जहाँ से ग्राम पंचायतों को पेयजल वितरित होना है। उक्त कार्य जल निगम के द्वारा टैण्डर के माध्यम से कराया जायेगा। जिसे Supply कार्य (मुख्य लाईन) कहा जाता है। इसके वितरण प्रणाली के समस्त ग्राम उपभोक्ता पेयजल समिति के माध्यम से होने है जिसमें समुदाय व समिति की भागीदारी परम आवश्यक है।

रीता देवी
रविन्द्र
रणजीत
[illegible signature]
मायादेव
श्यामदेवी
[illegible signature]
[illegible signature]
[illegible signature]

P.C. Attested
[signature]
सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
चम्बा (टिहरी)

स्वच्छता कार्यक्रम! समुदाय को बताया गया कि परियोजना का उद्देश्य स्वच्छ पेयजल के साथ-साथ गाँव की स्वच्छता के उद्देश्य से प्रत्येक घर मे शौचालय निर्माण/परिसर स्वच्छता को बनाये रखने हेतु हैण्ड वाश का निर्माण व गंदे पानी की उचित निकासी के लिए नाली निर्माण या सोख्ता गड्ढा का भी निर्माण कर स्वच्छता के स्तर को बढ़ाया जा सकता है।

सामुदायिक सहभागिता! समुदाय को बताया गया कि परियोजना मे निर्धारित नगद अंशदान व श्रमदान करना आवश्यक है। तथा एक वर्ष का नगद रख-रखाव अग्रिम जमा भी करना।

संचालन एवं रख-रखाव! योजना निर्माण के बाद इसका संचालन एवं रख-रखाव ग्राम वासियों को स्वयं करना है इसलिए प्रत्येक परिवार से मासिक शुल्क भी समिति द्वारा लिया जाना है इस हेतु गाँव मे एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त करना होगा। जो कि पेयजल योजना की समय-समय पर देख रेख कर सके।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर एक-एक कर पुनः विचार करते हुए अध्यक्ष की एवं समुदाय की सहमति से आज की बैठक को सफल सभी को धन्यवाद देकर किया गया।

P.C. [illegible]

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम

उपसमिति गठन कार्यवाही – प्रस्ताव

Date 15/09/2013

आज दिनांक 15/09/13 को ग्राम पंचायत डांगतल्ला में ग्राम प्रधान श्री सुखवीर सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य एस० आर०डी० डब्ल्यू० जी० योजना के अन्तर्गत बनने वाली सुरीधार पंम्पिंग पेयजल योजना के बारे में ग्राम वासियों को जानकारी देना व उपसमिति का गठन करना था। बैठक में सहयोगी संस्था [illegible] के कार्यकर्ता [illegible] एवं ग्राम समुदाय के लोग उपस्थित थे।

परियोजना की सामान्य जानकारी :-

परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है तथा इसके अतिरिक्त समुदाय को जागरूक करके उनके व्यवहार में बदलाव लाना भी परियोजना का उद्देश्य है। परियोजना में अपनाने की व्यवस्था की भागीदारी के लिए समुदाय की भागेदारी श्रम व नगद अंशदान के रूप में सुनिश्चित की गई है जो निम्नलिखित है

क्र० सं०	विवरण	नगद अंशदान	श्रमदान	योग
1	निजी संयो० सामान्य	120	480=	600
2-	सार्वजनिक संयो० सा०	60=	240=	300=
3	निजी संयोजन अनु० जाति	60=	240=	300=
4	सार्वजनिक संयो० अनु० जाति परिवार	15=	135=	150=

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
चम्बा (टिहरी)

Date

उपरोक्त विवरण के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता परिवार को नकद व श्रमदान देना है तथा इसके अतिरिक्त परियोजना लागत के अनुसार 1 वर्ष का अग्रिम रख रखाव शुल्क भी जमा करना है जिसे 50% निर्माण-चरण/क्रियान्वयन 50% क्रियान्वयन-चरण में जमा करना होगा।

स्वच्छता कार्यक्रम :- स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के साथ-साथ परियोजना का उद्देश्य है कि ग्राम समुदाय के रहन सहन में भी सुधार हो इसके लिए स्वच्छता कार्यक्रम को भी ग्राम स्तर पर नियमित रूप से चलाया जायेगा। जिसमें प्रत्येक परिवार के घर पानी की निकासी हेतु सोख्ता गड्ढा व निकासी नाली का निर्माण तथा कूड़े, करकट के लिये कूड़ेदान का निर्माण करना भी आवश्यक है स्वच्छता का महत्व को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर व बैठकों के रूपों का संचालन करना जिसमें व्यक्तिगत स्वच्छता, घरेलू स्वच्छता एवं पर्यावरणीय स्वच्छता की जानकारियाँ भी समुदाय को समय समय पर दी जायेगी।

उपसमिति गठन की प्रक्रिया :- प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक उपभोक्ता पेयजल

(हस्ताक्षर)
सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
चम्बा (टिहरी)

Date

Date

एवं स्वच्छता उपसमिति का गठन किया जाना है जिसमें सात से बारह 7-12 सदस्य होंगे। इन्हीं सदस्यों में से कोषाध्यक्ष चुना जायेगा तथा ग्राम प्रधान उपसमिति का पदेन अध्यक्ष होंगे। समिति में निर्वाचित वार्ड सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य आदि यदि वे उपयोगता है तो समिति के सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त आरक्षण व्यवस्था के तहत 40% प्रतिशत महिलाएं 20% अनुसूचित जन जाति के लोग सदस्य उपसमिति का प्रतिनिधित्व करेंगे जो आवश्यक है।

वित्तीय प्रक्रिया :- वित्तीय प्रक्रिया के तहत समिति के दो अलग-अलग खाते संचालन रख-रखाव व पूंजीगत लागत खाता खोले जाते हैं। पूंजीगत खाते में परियोजना की प्रथम अंशदान व समुदाय का नगद अंश धन जमा किया जायेगा तथा इसी खाते से परियोजना के भुगतान किये जायेंगे। संचालन व रख-रखाव खाते में 1 वर्ष का पेयजल शुल्क योजना रखरखाव हेतु जमा किया जायेगा तथा पेयजल योजना के निर्माण के बाद प्रत्येक परिवार से प्रति माह निर्धारित शुल्क जमा किया जायेगा इन दोनों खातों का संचालन अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

A.C. [signature]

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
चम्बा (टिहरी)

Date……………

तद् पश्चात सभी उपरोक्त बिन्दुओं पर चर्चा करने के बाद समिति गठन की प्रक्रिया आरम्भ करते हुए समुदाय में आपसी विचार-विमर्श व आम सहमति से निम्न सदस्यों को उपयोक्ता समिति में सम्मिलित किया।

क्रम सं०	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	उम्र	लिंग	जाति	शै० योग्यता	[illegible]
1-	सुरबीर सिंह	जय सिंह नेगी	अध्यक्ष	45	M	Gen	5th	[illegible]
2	हर्ष लाल	राम देव	कोषाध्यक्ष	48	M	Gen	10th	[illegible]
3	शिवानन्द	रूपाराम	सदस्य	70	M	-do-	साक्षर	[illegible]
4	धर्म सिंह	इन्दर सिंह	-do-	60	M	-do-	8th	-
5	श्रीमती दिला देवी	दरमयान सिंह	-do-	35	F	-do-	8th	[illegible]
6	नत्थी सिंह	वचू सिंह	-do-	55	F	-do-	8th	
7	विजय सिंह	नैन सिंह	-do-	50	M	-do-	साक्षर	
8	मनोहर लाल	मायाराम	-do-	70	M	-do-	10th	
9	श्रीमती कमला देवी	मुरलीधर	-do-	56	F	-do-	साक्षर	
10	संगीता देवी	चिन्ता मणी	-do-	32	F	-do-	8th	
11	प्रसन्नी देवी	हुकम दास	-do-	56	F	SC	मिड	
12	आनन्दीलाल	कुमानु दत्त	-do-	40	M	SC	साक्षर	

उपरोक्त उपसमिति में अध्यक्ष पद हेतु सुरबीर सिंह तथा कोषाध्यक्ष पद हेतु श्री हर्ष लाल के नाम की सहमति बैठक में सर्व सहमति से बनाई गई एवं उपयोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति [illegible] के उपसमिति बैंक खाते खोलने के लिए ग्रामीण बैंक [illegible] (शाखा) बैंक में अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष के संयुक्त

हस्ताक्षर

(Signatures: [illegible])

P.C. [illegible]
सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम

हस्ताक्षरों से खोलने का निर्णय लिया गया। उपसमिति गठन के पश्चात सभी बिन्दुओं को पुनः समझाते हुए योजना के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन/नियोजन हेतु अपेक्षित सहयोग के लिए उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

तत् पश्चात अध्यक्ष जी की अनुमति से आज की बैठक का समापन किया गया है।

ग्राम पंचायत ... विशेष ... वि० ख० भीलंगना (टिहरी-गढ़वाल)

JE

Tem Leder
Shradha Dehradun

रिया रह

मोहन ... नेगी

जगत ... दास

दिलदेवी

प्रेम सिंह

... सिंह

संगीता

Rahul Seklani

... देवी

P.C. ...
सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
घनसाली (टिहरी)